राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 134 / 2024

आशा लता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2024
आदेश की दिनांक : 05.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी और वर्ष 2018 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिनांक 28.07.2023 को अपीलार्थी को सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर में कार्य करने के आदेश दिए, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 05.08.2023 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के पति चिकित्सा विभाग में ही बस्सी, जयपुर में पदस्थापित हैं। अपीलार्थी के 2 बच्चे हैं, जो अध्ययनरत हैं। आदेश दिनांक 14.08.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2042 / 2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 21.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के अभ्यावेदन का सही निस्तारण करने एवं उसकी सूचना देने का आदेश दिया गया और अभ्यावेदन निस्तारण होने तक आदेश दिनांक 14.08.2023 की क्रियान्विति को स्थगित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश

दिनांक 18.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को बिना कोई कारण बताये खारिज कर दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का ऐसे स्थान पर स्थानान्तरण किया, जहां विशेषज्ञता का विभाग ही नहीं है। विभाग द्वारा अपीलार्थी को 6 माह से वेतन भी नहीं दिया गया, जो नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 14.08.2023 एवं आदेश दिनांक 18.01.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 14.08.2023 के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2042/2023 दायर की गई, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा दिनांक 21.08.2023 को यह निर्देश देते हुए आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपील में उठाये गये बिंदुओं के आधार पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग उन बिंदुओं पर विचार कर नियमानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करें, जिसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी को देवें और निस्तारण की तिथी तक आदेश दिनांक 14.08.2023 की क्रियान्विति स्थगित रहेगी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.01.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन में उठाये गये बिंदुओं पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गहनता से कोई विचार न करते हुए सरसरी तौर पर अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज कर आदेश जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित अंकित किया गया :–

> *''आपके अभ्यावेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार करते हुए आपका अभ्यावेदन निरस्त करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने नव पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए इस विभाग को अवगत करावें।''*

इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन में उठाये गये बिंदुओं पर गहनता से विचार न करते हुए एवं बिना कारण बताये सरसरी तौर पर अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया, जो हमारे मत में उचित प्रकट नहीं होता है। अतः

अपीलार्थी की अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को हम यह निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को ध्यानपूर्वक उसके द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर विचार करते हुए कारण सहित उसका नियमानुसार निस्तारण कर एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) पारित करें, जिसकी सूचना अपीलार्थी को दें और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आख्यात्मक आदेश जारी होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे, जिस स्थान पर वह चुनौती आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य